Form no 111

फर्द अहकाम

नियम 133)

जज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :- प्रेमकुमार बनाम स्टेट आदि

धारा :- 136 एल.आर.ए. मुकदमा नं0:- ....172..../2018/19

5.4.19

हुकम या कार्यवाही मय अनिशिल्सा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।

यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. (विविध) वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ से रिपोर्ट प्राप्त करे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। कर पत्रावली दिनांक 6.5.2019 को पेश हो।

8.5.19

प्रार्थी अधि. उप-1 अप्रार्थी को ... नोटिस की तामील प्राप्त हुआ है, रायपेशकार उप-1 प्रस्तुत वास्ते जवाब ज.पव दिनांक 1.7.19 को पेश हो। PO Sd. मुताबिक कार्य में व्यस्त है

1/7/19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं।
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है।
पत्रावली दिनांक 5.8.19 को पेश हो।

5-8-19 वकील प्रार्थी उपस्थित श्रज पेशकार उपस्थित T.D.R रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली की गई पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29-8-19 को पेश हो।

29-8-19 वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद बादी पैरवी नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल रिकार्ड हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पीठासीन अधिकारी :— कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :— 172/2019

1. प्रेम कुमार पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. स्टेट आफ राजस्थान — जरिये तहसीलदार भू. अभिलेख हनुमानगढ़। — — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 29.08.2019

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 13.06.1975 को प्रश्नगत कृषि भूमि चक नम्बर 9 एस.एस.डब्ल्यू. पत्थर नम्बर 148/308 (88) किला नम्बर 11/2, ता 15, 18 ता 23 कुल 2.593 हैक्टर जरिये बैयनामा खरीद की गई। जिसके आधार पर प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई जो प्रेम प्रकाश पुत्र नानूराम के नाम से दर्ज कर दी गई जो लगतार राजस्व रिकार्ड में प्रेम प्रकाश के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक नम्बर 9 एस. एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 68/66 सम्वत् 2073 से 76 व फोटो प्रति बैयनामा दिनांक 13.06.1975 संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे यह रोशन है।

प्रार्थी का नाम प्रेम कुमार पुत्र नानूराम है जो सहवन से प्रेम कुमार की बजाय प्रेम प्रकाश दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि पर ऋण लेने फसली गिरदावरी दर्ज करवाने तथा प्रश्नगत कृषि भूमि का बैचान करना चाहे तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम प्रेम कुमार पुत्र नानूराम दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, संख्या 006779400126 भामाशाह कार्ड संख्या VXRZRVP अधार कार्ड संख्या 287006847309, मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2013 संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे यह साबीत है।

प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम प्रेम प्रकाश के स्थान पर प्रेम कुमार दुरूस्त करवाने हेतु पटवारी हल्का से पुछताछ की तथा तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से निवेदन किया तो प्रार्थी को मालुम हुआ कि दुरूस्ती हेतु माननीय सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है तथा यही वाद कारण है।

अप्रार्थी तहसीलदार (भू—अभिलेख) हनुमानगढ़ को भू.स्वामी व भू.अभिलेख अधिकारी होने के कारण फरीक प्रार्थना पत्र बनाया गया है ताकि राजस्व रिकार्ड की सही स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हो सके।

प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो समुचित न्याय शुल्क पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि चक नम्बर 9 एस.एस.डब्ल्यू. खाता संख्या 68/66 मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त फरमाया जाकर प्रेम प्रकाश पुत्र श्री नानूराम के स्थान पर प्रेम कुमार पुत्र श्री नानूराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया पटवारी हल्का गुरूसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 9 एस.एस.डब्ल्यू. जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 68/66 मे पत्थर नम्बर 148/308 मुरब्बा नम्बर 88 किला नम्बर 11/2 की 0.063, 12 ता 15, 18 ता 23 कुल 2.593 हैक्टर नहरी मय रास्ता प्रेमप्रकाश वल्द नानूराम जाति जाट साकिन कोहला के नाम से खातेदार दर्ज है।

उक्त खाता मे प्रार्थी का नाम प्रेमप्रकाश पत्र नानुराम की फाईल में प्रार्थना पत्र पेज नम्बर 33 श्रीमान सहायक भू. प्रबन्धक हनमानगढ़ के आदेश दिनाक 24.11.196 बैयनामा दिनाक 24.11.1976 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। जो कि आदिनांक तक अपरिवर्तित लगातार चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम कहीं भी अशुद्ध नहीं हुआ है।

प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी का नाम प्रेमप्रकाश पुत्र नानुराम भू. प्रबन्धक हनमानगढ़ के आदेश दिनाक 24.11.196 बैयनामा दिनाक 24.11.1976 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। जो कि आदिनांक तक अपरिवर्तित लगातार चला आ रहा है। जिसमें किसी प्रकार की कोई लिपिकिय त्रुटि नही होनें के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पोषणीय नहीं होनें के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनाक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 17:43:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: